रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95

REGD. NO. D.L.-33004/95



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 1995/आश्विन 13, 1917
No. 409] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1995/ASVINA 13, 1917

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1995

सा० का० नि० 679(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० ओ० सं० 415(अ) तारीख 26 अप्रैल, 1994 को अधिक्रान्त करते हुए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी० के० बहरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

सदस्य :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री आर० सी० लाहोटी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री डी० के० जैन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फा० सं० 674/1/95-सीमाशुल्क-8]
रूप चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1995

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S.O. No./GSR No. 415(E) dated the 26th April, 1994, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :

Chairman :

1. Hon'ble Mr. Justice P. K. Bahri, Judge of Delhi High Court.

Members :

2. Hon'ble Mr. Justice R. C. Lahoti, Judge of Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain, Judge of Delhi High Court.

[F. No. 674/1/95/Cus. VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995